



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rlsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: <https://rlsa.rajasthan.gov.in>

क्रमांक:—F-2(68)/रालसा/DS-I/PRO-BONO/2025/ 531

दिनांक:— 22.07.2026

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 07 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाएं देने हेतु प्रो-बोनो अधिवक्तागण के पैनल का गठन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 612 दिनांक 15.10.2025 से किया गया था।

निर्देशानुसार, उक्त आदेश की निरंतरता में निम्नानुसार अधिवक्तागण को प्रो-बोनो पैनल में शामिल किया जाता है:—

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर हेतु प्रो-बोनो अधिवक्तागण:—

S. No.	Name of Advocate	Enrolment No.
1.	Ms. Prerna Shahani	R/540/2002
2.	Ms. Arti Devi	R/1754/2011
3.	Smt. Preeti Goyal	R/409/2013
4.	Sh. Mahendra Kumar Saini	R/3714/2018
5.	Smt. Madhu Kumari Verma	R/1872/2013
6.	Smt. Meera Bai Jain	R/3344/2010

प्रो-बोनो अधिवक्तागण की सूची राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट <https://rlsa.rajasthan.gov.in/> पर अपलोड कर दी गई है।

उपरोक्त प्रो-बोनो अधिवक्तागण का पैनल निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करेगा:—

- प्रो-बोनो पैनल की सेवाएं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर (Guidelines for institutionalizing Pro-Bono Legal Services 2019) में दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन रहेंगी।
- प्रो-बोनो पैनल का गठन 30 सितम्बर, 2028 तक के लिए किया गया है। यह अवधि समाप्त होने पर प्रो-बोनो अधिवक्तागण द्वारा दी गई सहमति को ध्यान में रखते हुए पैनल का पुनर्विलोकन किया जाएगा।
- प्रो-बोनो अधिवक्ता द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप में दिनांक 20.08.2026 तक अण्डरटेकिंग दिया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा पैनल से नाम पृथक कर दिया जा सकेगा।

आज्ञा से



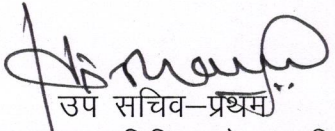
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक:—F-2(86)/रालसा/DS-I/PRO-BONO/2025/18813-823 दिनांक:— 22/07/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं मुख्य-संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राज. राज्य विधिक सेवा प्राधि. जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर।
7. नोडल अधिकारी वेबसाइट, उप सचिव-द्वितीय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
8. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
9. आदेश/रक्षित/सम्बंधित पत्रावली।


उप सचिव-प्रथम
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।